

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रमांक / रीडर / 2025 / 3636

दिनांक 06/10/2025

उपरोक्त प्रकरण - गानगोहन वनाम् भूमिधारी तहसीलदार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट, 1956

मुकदमा संख्या - 166 / 2025

—: दुरुस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 13 / मूअ / 2025 दिनांक 29/09/2025 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा -136 के अन्तर्गत भिजवाये गये राजस्व ग्राम सिमरला पटवार हल्का कांठड़ी सिमरला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के भूमि खाता संख्या 154 में खातेदार मोहनलाल पुत्र मालाराम जाति गुजर के स्थान पर मोहनलाल उर्फ मनमोहन पुत्र मालाराम का नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है। पटवारी हल्का कांठड़ी सिमरला उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।


  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (सीकर)  
श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रमांक / रीडर / 2025 / 3637-38

दिनांक 06/10/2025

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर) को सूचनार्थ।
2. पटवारी हल्का कांठड़ी सिमरला तहसील श्रीमाधोपुर को पालनार्थ।

  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (सीकर)  
श्रीमाधोपुर (सीकर)

